

मानव संसाधन विकास :

जनशक्ति :

प्रवर्ग	को यथा जनशक्ति		वृद्धि (+)/ कमी (-)
	31.03.2022	31.03.2021	
अधिशासी	2040	1864	176
पर्यवेक्षक	3512	3800	-288
अनुसचिवीय/लिपिकीय	1861	2016	-155
अत्यधिक कुशल/कुशल	16941	17925	-984
अर्ध कुशल/अकुशल	27348	28271	-923
प्रशिक्षु (गैर-अधिशासी)	1233	990	243
<b>कुल</b>	<b>52935</b>	<b>54866</b>	<b>-1931</b>

वर्ष के दौरान अंतर के लिए कारण :

विशिष्टियाँ	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
<b>वृद्धि</b>			
नई नियुक्ति	214	40	254
चिकित्सीय अनुपयुक्त मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	0	0	0
मृत्यु मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	91	604	695
पुनःस्थापन/पुनःकार्य पर आना	0	03	03
अन्य कंपनियों से स्थानांतरित होकर आए	212	62	274
भू-वंचितों के प्रतिकूल नियुक्ति	0	237	237
विशेष महिला वीआरएस के प्रतिकूल नियुक्ति	0	0	0
<b>कुल वृद्धि (क)</b>	<b>517</b>	<b>946</b>	<b>1463</b>
<b>कमी</b>			
सेवानिवृत्ति	104	2340	2444
चिकित्सीय अनुपयुक्त	0	0	0
मृत्यु	11	688	699
त्याग-पत्र	11	18	29
अन्य कंपनियों में स्थानांतरित होकर गए	126	73	199
पदच्युति/पर्यवसान	01	14	15
जीएचएस/ईवीआरएस के अधीन वीआरएस	06	02	08
विशेष महिला वीआरएस	0	0	0
<b>कुल कमी (ख)</b>	<b>259</b>	<b>3135</b>	<b>3394</b>
<b>अंतर (क - ख)</b>	<b>258</b>	<b>-2189</b>	<b>-1931</b>

औद्योगिक संबंध :

कंपनी में औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण है। कामगार अब बाह्य मामलों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध एवं विधि-व्यवस्था संबंधित सांख्यिकीय निम्न उद्धृत है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विषय	2021-22	2020-21
1.	हड़ताल की संख्या	01 (2 Days)	02 (4 Days)
2.	श्रमिक दिन में क्षति (लाख में)	1.92	0.41
3.	उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	2.25	1.57

**विधि-व्यवस्था :**

विषय	2021-22	2020-21
विधि-व्यवस्था (विघ्न)	03	09
उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	Nil	Nil

**प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता :**

ईसीएल प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता कंपनी के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पूर्णतः संचालित है। निगमित, क्षेत्रीय एवं परियोजना/इकाई स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति कार्य कर रही हैं। जेसीसी बैठक में पुराने महत्वपूर्ण मामलों यथा उत्पादन, उत्पादकता इत्यादि पर विवेचना किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कंपनी में समिति/बोर्ड यथा द्विपक्षीय खान सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय खान सुरक्षा समिति, क्रोलियरी खान सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड इत्यादि भी क्रियाशील हैं। श्रम संगठनों ऐसी समितियों में अत्यंत सक्रियता से सहभागिता करती हैं तथा प्रबंधन और कर्मचारी के मध्य विश्वास एवं सदिच्छा को सुदृढ़ करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही लाती हैं।

बैठकें	2021-22	2020-21
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठक की संख्या	02	05
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचित बैठक की संख्या	05	05

**एनसीडब्ल्यूए एवं एलएलएस के अधीन प्रदत्त नियोजन :**

के अधीन प्रदत्त नियोजन	2021-22	2020-21
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए)	695	525
भू-वंचित योजना (एलएलएस)	235	174
प्रत्यक्ष भर्ती	40	Nil

**भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण :**

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपतिक निदेशों को ईसीएल में क्रियान्वयन किया गया है। कुल जनशक्ति में एससी एवं एसटी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व यथा निम्नवत है :

को यथा	कुल जनशक्ति	अ.जा. अभ्यर्थी		अ.ज.जा. अभ्यर्थी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2022	52935	15377	29.05	7442	14.06
31.03.2021	54866	15132	27.58	7149	13.03

सृजित 1601 पदोन्नति में से, वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के 233 और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 139 अभ्यर्थियों के मुकाबले वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 257 और 136 अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया था। 31.03.2021 को यथा 15285 ऑन रोल ओबीसी समुदाय के कर्मचारियों के मुकाबले 31.03.2022 को यथा 16165 थे।

**श्रम संगठन :**

ईसीएल के कर्मचारीगण अत्यधिक संघबद्ध हैं और शायद ही ऐसा कर्मचारी हों जो किसी भी श्रमिक संघ के सदस्य न हों। आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीआईटीयू, आईएनटीटीयूसी इत्यादि प्रमुख श्रमिक संगठन कार्यरत है। अधिशासीगण सीएमओएआई के सदस्य हैं। जेबीसीसीआई द्वारा निरूपित राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए), कंपनी के स्थायी आदेश और सरकारी निदेशों द्वारा गैर-अधिशासी कर्मियों के मजदूरी पुनरीक्षण एवं सेवाओं की अन्य दशाएँ शासित किए जाते हैं।

**महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटन :**

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार ईसीएल में गठित आंतरिक परिवार समिति (आईसीसी) कार्यरत हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, ईसीएल के आंतरिक परिवार समिति (आईसीसी) द्वारा लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित एक (01) परिवार अभिप्राय किया गया है और जांच प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, दो (02) परिवारों के जांच प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।



ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र द्वारा आयोजित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण के लिए जागरूकता कार्यक्रम

**प्रशिक्षण :**

भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) जो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था अधिशासियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि उन्नत प्रबंधकीय कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधकीय कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत अनुरक्षण कार्यविधियाँ, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास तथा संप्रेषण कौशल प्रदान करती हैं। इसके अलावा, हमारी कंपनी ने बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए सार्थक संख्या में अधिकारियों के लिए व्यवस्था की है और हमारे कर्मियों (निदेशकगणों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-अधिशासी कर्मियों सहित) को भारत के बाहर कई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों के लिए भेजा गया है। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में, हमारे दो संस्थान हैं, नामशः कोल इंडिया प्रशिक्षण प्रबंधन कॉलेज, डिसेरगढ़ एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), रतिबाटी अधिशासियों सहित हमारे कर्मियों को नानाविध प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नए भर्ती हुए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए भी नियमित रूप से प्रवेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ईसीएल के भिन्न-भिन्न खानों/कार्यशालाओं में उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयोजित किया गया था। शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईसीएल भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों से नानाविध विषयों/ व्यवसायों के शिक्षुओं को सम्मिलित कर रहा है।

**कार्य योजना : कार्य योजना (कंपनी में) के अनुसार एचआरडी प्रदर्शन प्रतिवेदन :**

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या		सहभागियों की संख्या							
			लक्ष्य				वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
2021-22	80	54	430	410	410	1250	494	344	415	1253
2020-21	124	21	360	890	420	1670	485	139	Nil	624

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदत्त नानाविध प्रशिक्षण के व्यौरे :

क्रम सं.	प्रशिक्षण की प्रकृति	2021-22				2020-21			
		अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
<b>1</b>	<b>सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण :</b>								
1.i	दिवस या अधिक	Nil	50	12	62	Nil	Nil	Nil	Nil
1.ii	दिवस से कम	494	294	403	1191	485	139	Nil	624
<b>2</b>	<b>बाह्य प्रशिक्षण (भारत में)</b>								
<b>2.i</b>	<b>आईआईसीएम में :</b>								
2.i.a	3 दिवस या अधिक	413	Nil	Nil	413	176	Nil	Nil	176
2.i.b	अल्पावधि पाठ्यक्रम	25	Nil	Nil	25	55	Nil	Nil	55
<b>2.ii</b>	<b>कंपनी से बाहर प्रशिक्षण (आईआईसीएम से भिन्न) :</b>								
2.ii.a	अल्पावधि	53	Nil	Nil	53	107	Nil	Nil	107
2.ii.b	दीर्घावधि	42	Nil	Nil	42	Nil	Nil	Nil	Nil
2.ii.c	3 दिवस या अधिक	21	Nil	Nil	21	19	Nil	Nil	19
3	बाह्य (विदेश)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	<b>कुल</b>	<b>1048</b>	<b>344</b>	<b>4 15</b>	<b>1807</b>	<b>842</b>	<b>139</b>	<b>Nil</b>	<b>981</b>
<b>4</b>	<b>अन्य प्रशिक्षण एवं सेमिनार :</b>								
a.	प्रशिक्षु :								
4.a.i	व्यावसायिक	Nil	Nil	910	910	Nil	Nil	640	640
4.a.ii	पीडीपीटी	Nil	1159	Nil	1159	Nil	949	Nil	949
4.a.iii	पीजीपीटी	207	Nil	Nil	207	159	Nil	Nil	159
4.a.iv	शिक्षु (कौशल विकास)	Nil	Nil	94	94	Nil	Nil	89	89
<b>4.b.</b>	<b>सेमिनार/कार्यशाला</b>	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>4.c.</b>	<b>अनुकारी प्रशिक्षण</b>	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	<b>कुल</b>	<b>1255</b>	<b>1503</b>	<b>1419</b>	<b>4 177</b>	<b>1001</b>	<b>1088</b>	<b>729</b>	<b>2818</b>